भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
सैन्य कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 945
25 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

गोल्फ कोर्स के लिए रक्षा भूमि का उपयोग

945. श्री माथेश्वरन वी.एस.:

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल्फ कोर्स रक्षा कर्मियों के मनोरंजन के लिए सरकार द्वारा अधिकृत मानदंडों के अंतर्गत नहीं आते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वायु सेना छह गोल्फ कोर्स के लिए ए1 भूमि और उस पर स्थित परिसंपत्तियों का उपयोग करती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा करने वाले संबंधित अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या गोल्फ कोर्स के राजस्व को गैर-सार्वजनिक निधियों में जमा कर दिया गया था, जबकि रक्षा भूमि और भवनों का उपयोग गोल्फ कोर्स के लिए किया गया था और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न रक्षा बलों द्वारा गोल्फ कोर्स के लिए उपयोग की जा रही रक्षा भूमि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास रक्षा भूमि को गोल्फ कोर्स में परिवर्तित करने के निर्णय को वापस लेने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या मुंबई के यू.एस. क्लब के लिए 53 एकड़ रक्षा भूमि का उपयोग गोल्फ कोर्स के लिए किया जाता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे उपयोग को अधिकृत करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) एवं (ख) जी हाँ। गोल्फ कोर्स ए1 रक्षा भूमि सहित रक्षा भूमि पर निर्माण के लिए सरकार द्वारा अधिकृत मापदंडों के अंतर्गत नहीं आते हैं। कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने और खेल

गतिविधियां आयोजित करने हेतु प्रशिक्षण संस्थानों सहित वायुसेना स्टेशनों में खेल परिसर और शारीरिक विकास क्षेत्र उपलब्ध हैं।

(ग) प्रशिक्षण निधियां सेना पर्यावरण पार्क एवं प्रशिक्षण क्षेत्र के रखरखाव के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। खेल परिसरों के रखरखाव संबंधी निधियां सब्सक्रिप्शन/सदस्यता शुल्क के माध्यम से जुटायी जाती हैं जिसे गैर-सरकारी निधियों में जमा किया जाता है ताकि इन सुविधाओं के प्रशासनिक प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा सके।

(घ) जी नहीं।

(ङ) इस भूमि का उपयोग सेना नौसना पर्यावरण पार्क एवं प्रशिक्षण क्षेत्र (एएनईपीटीए) के रूप में किया जाता है जिसका प्रबंधन भारतीय सेना और भारतीय नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसमें दो फायरिंग रेंज और एक बाधा कोर्स है जिसका उपयोग गैरीसन यूनिटों के द्वारा छोटे हथियारों से गोलीबारी, हथियार प्रशिक्षण, युद्ध कौशल, बाधा प्रशिक्षण और अन्य खेलकूद तथा शारीरिक विकास अभ्यासों के लिए किया जाता है।

****